भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2351

04.08.2025 को उत्तर के लिए

लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा

2351. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) स्थानीय समुदायों को जैव विविधता संरक्षण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से निधि का कोई अंतरण किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार ने विलुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। ये महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

I. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व) का निर्माण करना।

II. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचित किया गया है।

III. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ, जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट्स, कछुए के प्रजनन के क्षेत्र और हॉर्स-क्रैब्स के पर्यावासों के, पर्यावास संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

IV. केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावास विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्यजीवों के प्रबंधन और उनके पर्यावासों के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्थानीय समुदाय इन योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कार्यकलापों जैसे वन्यजीवों का संरक्षण, निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रबंधन, जागरूकता अभियान आदि में शामिल हैं।

V. देश में वनरोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) भी शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के वन आवरण की रक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करना तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करना है।

VI. केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए रिकवरी कार्यक्रम' का एक विशिष्ट घटक शामिल किया गया है, ताकि अभिज्ञात की गई 24 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर केंद्रित संरक्षण कार्रवाई की जा सके।

VII. जैव विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन और जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान करता है।

*****